DR Krishnadeo kumar bharti
Assistant professor (G.T)
Dept of Political science
C.M.j College Donwarihat
Khutauna, Madhubani
Email---Kdkbharti08@gmail.com
B.A Part-2- Date-10-07-2020
Mo.No---9234999361.

स्विस संविधान की संघीय व्यवस्था की विशेषता का विश्लेषण करें।

वस्तुतः स्विस संविधान का प्रथम अनुच्छेद स्विट्जरलैंड को परिसंघ *(Confederation)*कहना है, संध नहीं।परिसंघ राज्यों का एक कामचलाऊ*(Loose leguel of states)*होता है जिसमें केन्द्र को बहुत कम शक्तियाँ होती है।वस्तुतः इसमें केन्द्रीय सत्ता का अभाव होता है और इसकी इकाइयाँ स्वतंत्र होती है, परिणामतः इसका कभी भी विघटन हो सकता है।क्या स्विस संविधान ऐसा ही है।स्विट्जरलैंड वास्तव में संध, परिसंघ नहीं।स्विस संविधान की प्रस्तावना इस ओर संकेत करती है।उसमें कहा गया है कि "स्विस परिसंघ की स्थापना का उद्देश्य यह था कि अवयवी कैन्टनों के संध को सुढ़ृढ़ बनाया जाय और उसके द्वारा राष्ट्र की एकता, शक्ति और सम्मान की रक्षा और बृद्धि की जाय ।"स्विस राष्ट्र में पूर्ण समन्वय प्राप्त करने के लिए ही देश में संघीय संविधान की स्थापना की जा रही है।इसके साथ ही संविधान में जो अधिकार और कार्य केंद्रीय सरकार को सम्पादित करने के लिए दिये हैं वे इसे संध बनाने के लिए पर्याप्त है।केन्द्रीय सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूर्ण अधिकार प्राप्त है।देश के अन्दर शान्ति और व्यवस्था की स्थापना के लिए संध को पूर्ण शक्ति प्राप्त है कैंटनो की व्यवस्था संध के विपरीत नहीं हो सकती है।जहाँ तक इस बात का प्रयत्न है कि कैन्टन सम्प्रभु है, स्विस संविधान में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि स्विट्जरलैंड संध मे सम्मलित राज्यो के उस सीमा तक सम्प्रभुता प्राप्त है जिस सीमा तक संविधान में कहा गया है।स्पष्टतः जिन विषयों को संघीय सरकार को सौंपा गया है उन्हें छोडकर शेष प्रश्नो पर ही कैन्टन सम्प्रभुता है।स्विस जाति की प्रखर राष्ट्रीय भावना ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण और निर्णायक कार्य किया है।

1. संघीय व्यवस्था---डा०व्हीयर ने स्विस संविधान को संघीय प्रणाली के श्रेणी में रखा है पर स्विस संध की कुछ अप
नी विशेषताएँ हैं जो उसे सहज ही अन्य सरकारों से विशेषतः अमेरिकी संध से पृथक करती है--

*1.*स्विस संध शाश्वत इकाइयों का शाश्वत संध है, ऐसा कहा जाता है।अर्थात संविधान द्वारा न तो कभी कैन्टनों को ही और न संध को ही समाप्त किया जा सकता है।

*2.*स्विस संविधान में नई इकाइयों को सम्मलित करने की कोई व्यवस्था नहीं है।यदि कोई नई इकाई सम्मलित होना भी चाहे तो इस निमित संविधान में संशोधन करना होगा।

*2.*गततन्नात्मक संविधान---स्विट्जरलैंड यूरोप का प्राचीनतम गणतंत्र है।यहां कभी राजतंत्र नहीं रहा।यहाँ के निवासियों की मूल प्रवृति उदारवादी है।स्विस संविधान पूर्णतः गणतंत्रवादी है।ऐसे कई तथ्य हैं जो इस ओर संकेत करते हैं तथा स्विस संविधान में पैतृक सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया है।शासकीय पदों के लिए कोई पैतृक सिद्धांत नहीं है।

*3.*कठोर संविधान---स्विस संविधान ब्रिटेन के समान लचीला नहीं है, अपितु अमेरिका के समान कठोर है।स्विस संविधान की यह विशेषता उसकी संघात्मकता की रक्षा का बडा कारण है।पर ऐसा होते हुए भी वह परिवर्तित परिस्थितियों और सामाजिक मान्यताओं के अनुकूल अपने को ढ़ालने मे सक्षम रहा है।

*4.*बहुल कार्यपालिका---स्विस कार्यपालिका पूर्णतः अनोखी संस्था है।संविधान ने किसी एक व्यक्ति को कार्यपालिका का प्रमुख नहीं माना है, अपितु कार्यपालिका की सर्वोच्च सत्ता एक संस्था मे निहित है।स्विट्जरलैंड कौसिंल को प्राप्त है जिसमें सात सदस्य होते है।सदस्यों मे बडे छोटे का प्रश्न नहीं है, सभी को समान अधिकार है। फेडरल कौसिंल अपने सदस्यों मे से कम से कम एक एक वर्ष के लिए एक सदस्य को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लेती है।

5 प्रत्यक्ष प्रजातंत्र----

आगे, धन्यवाद।

2020-07-10
From vivo Note.

Scanned with CamScanner